भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5403
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

छत्तीसगढ़ में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के फर्जी विज्ञापन

5403. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी के लिए कोई विशेष समिति गठित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त समिति की अनुशंसाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा है;
(ग) क्या सरकार छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा किया जाना तथा उन्हें सही जानकारी मिलना सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र कार्यान्वित कर रही है;
(घ) यदि हां, तो इस बारे में बनाए गए नए नियमों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का छत्तीसगढ़ में डिजिटल और सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित खाद्य उत्पाद के भ्रामक विज्ञापनों की कठोर निगरानी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
(च) क्या सरकार का छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने तथा फर्जी विज्ञापनों को रोकने के लिए कोई अभियान शुरू करने का विचार है; और
(छ) यदि हां, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए नियत की जाने वाली अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (घ): मंत्रालय ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी के लिए कोई विशेष समिति गठित नहीं की है। हालाँकि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 12.12.2024 के परिपत्र के माध्यम से प्रसंस्कृत खाद्य के भ्रामक प्रचार के समाधान के लिए माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति का उद्देश्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के भ्रामक प्रचार का समाधान करना, उपभोक्ताओं के लिए सटीक जानकारी सुनिश्चित करना और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग में नैतिक विज्ञापन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। समिति सलाहकार प्रकृति की है और यह सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई के लिए समय-समय पर अपनी सिफारिशें प्रदान करेगी।

(ङ)से (छ): खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 24(1) में निर्दिष्ट किया गया है कि *'किसी भी ऐसे खाद्य का ऐसा विज्ञापन नहीं दिया जाएगा जो भ्रामक या प्रवंचनापूर्ण हो या इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला हो।'* भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) ने प्री-पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की लेबलिंग के लिए निर्दिष्ट आवश्यकताओं से संबंधित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है। विनियम सभी खाद्य उत्पादों के लेबल पर प्रदर्शित की जाने वाली विभिन्न लेबलिंग आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट प्रावधानों का पालन करना होगा।

एफ़एसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 को भी अधिसूचित किया है, जो खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा उनके खाद्य उत्पादों के संबंध में किए जाने वाले दावों और विज्ञापनों से संबंधित है। इन विनियमों का उद्देश्य खाद्य उत्पादों के दावों और विज्ञापनों में निष्पक्षता स्थापित करना और खाद्य व्यवसायों को ऐसे दावों/विज्ञापनों के लिए जवाबदेह बनाना है, ताकि उपभोक्ता हितों की रक्षा की जा सके। इन विनियमों का कोई भी उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके बाद बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सकती है।

*****